16.95

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586418

<u>लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

1. भूमि का प्रकार – कृषि
   (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला/ग्राम – ग्राम शाहपुर बम्हैटा
4- सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं0 1441 के खसरा नं0 1822
5- मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt Ltd

Authorised Signatory

12 APR 2010
CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

विक्रय पत्र

प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
1,633,505.00/	3,001,000.00	10,000.00	60	10,060.00	3,000

श्री मै0 जयपल चकडा हाई टैक द्वारा दीपक पाठक
पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी स्थायी 33 कम्युनिटी सैन्टर न्यू फिन्डस का0 नई दिल्ली
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/4/2010 समय 12:00AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
एस0 के0 सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
गाजियाबाद
12/4/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री टीपू
पुत्र श्री खजान
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा गा0 बाद

क्रेता
श्री मै0 जयपल चकडा हाई टैक द्वारा दीपक पाठक
पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी 33 कम्युनिटी सैन्टर न्यू फिन्डस का0 नई दिल्ली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री फूल कवर
पुत्र श्री रनपाल
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी शाहपुर बम्हैटा गा0 बाद
व श्री नैपाल सिंह
पुत्र श्री रिछपाल
पेशा
निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा गा0 बाद
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
एस0 के0 सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
गाजियाबाद
12/4/2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586417

(2)

6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.1518 हैक्टेयर

7- सडक की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक

8- अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) N.A

9. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि

10. प्रतिफल की धनराशि 16,33,505/-रूपये

11- पेड कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नही हैं

For Ujjwal Chhagna Hi Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

विक्रेता

Registration No.: 1695 Year : 2,010 Book No. : 1

0101 टीपू

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586416

(3)

प्रथम पक्ष की संख्या (1)   द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

<u>विक्रेता का विवरण:-</u>

1. नाम : टीपू

पिता का नाम : श्री खजान

स्थाई पता : ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

व्यवसाय :

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

12 APR 2010

क्रेता

Registration No. : 1695 | Year : 2,010 | Book No. : 1

0201 मै0 उप्पल चड्ढा हाई टेक द्वारा दीपक पाठक
[illegible] पाठक
30 कम्युनिटी सेंटर [illegible] नई दिल्ली
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 586415

(4)

क्रेता का विवरण:-

1) नाम : मैसर्स उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री दीपक पाठक

पिता का नाम : श्री अम्बादत्त पाठक,,

स्थाई पता : 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली

व्यवसाय :

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt Ltd

Authorised Signatory

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586414

(5)

<u>विक्रय पत्र</u>

विक्रय पत्र अंकन : 16,33,505/ रूपये ।
स्टाम्प पेपर अंकन : 2,10,100/ रूपये ।

है कि टीपू पुत्र श्री खजान निवासी-ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (फरीक अव्वल /विक्रेता) ।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

Tejendr. Si

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586413

(6)

एवम

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक, निवासी–33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/केता) ।

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

[redacted]

12 APR 2010
TREASURY GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586412

(7)

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 1441 के खसरा नं0 1822 रकबई 0.7590 हैक्टेयर का 1/5 भाग अर्थात 0.1518 हैक्टेयर का प्रथम पक्ष विक्रेता विक्रेता अनुसार खतौनी 1416-1421 फसली फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, बतौर संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd

Authorised Signatory

TREASURY

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

OFFICE OF THE ... GHAZIABAD 12 APR 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 586411

(8)

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नही है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। विक्रय भूमि के चारो ओर 200 मीटर से अधिक तक कृषि कार्य हो रहा है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 1,97,68,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से रू0 1,07,60,869.56 प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 16,33,505/-रूपये (सौलह लाख तैतीस हजार पाँच सौ पाँच रूपये मात्र) मे तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt Ltd

Authorised Signatory

[illegible] सब रजिस्ट्रार प्रथम [illegible]

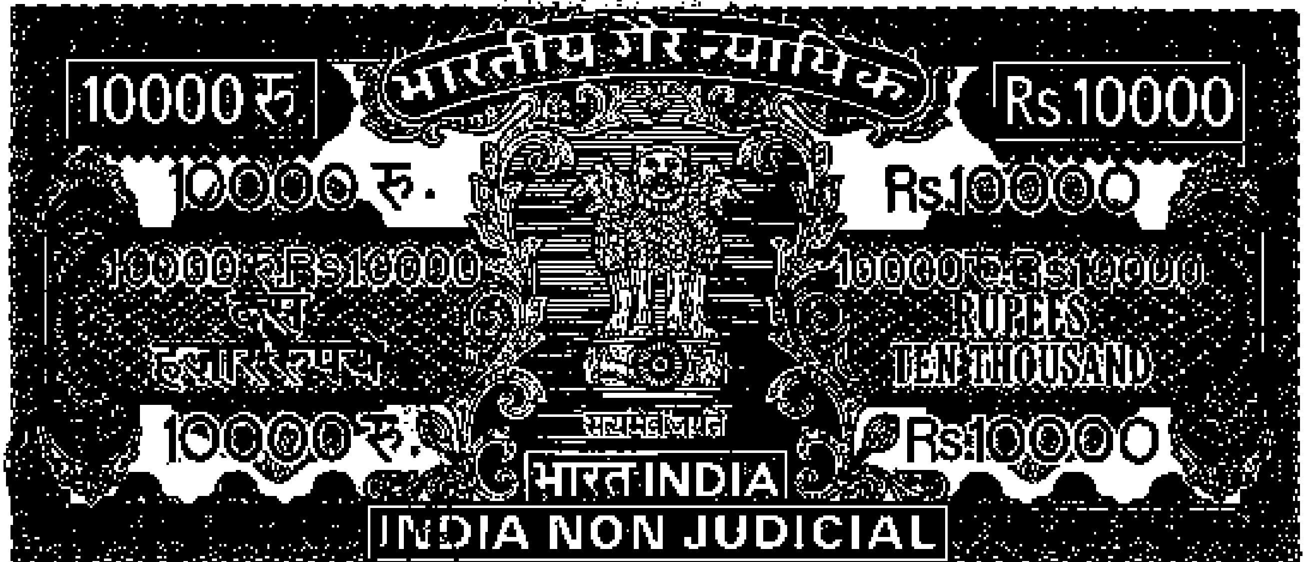

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

163183

(9)

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति से नही है। विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्कान्ति व शत्रु संपत्ति नही है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय मे स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 976853

(10)

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नही है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का डयूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

Authorised Signatory

535

[illegible]

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय मे कोई दोष व त्रुटि नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित /उल्लिखित भूमि के संबध मे मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक मे कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय मे पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगे

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र मे वर्णित उक्त खाता नं0 1441 के खसरा नं0 1822 रकबई 0.7590 हैक्टेयर का 1/5 भाग अर्थात 0.1518 हैक्टेयर स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद उसके अपने हिस्से के पूंण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णत: प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अत: मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्व बुद्दि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नही रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी

For ... Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

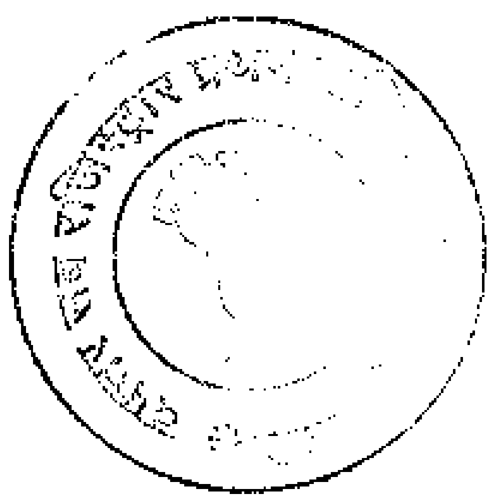

अंकन–16,33,505/–रूपये (सौलह लाख तैंतीस हजार पाँच सौ पाँच रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन 8,16,752.50/–रूपये(आठ लाख सोलह हजार सात सौ बावन रूपये पचास पैसे मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रैन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक, निवासी–33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रैन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णत: मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोइ एतराज नहीं होगा ।

... Chadha Hi-Tech Developers Pvt Ltd

Authorised Signatory

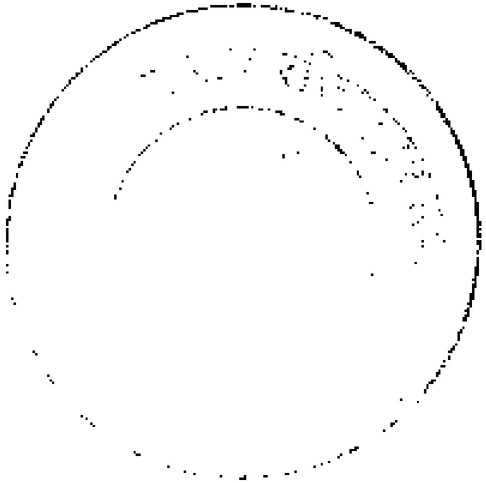

[redacted]

(10) अत: अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि मे निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा ।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/ विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है। क्रेता कम्पनी का पेन नं0 AAACU7200M है ।

(13) अत: यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

Rajendra
Advocate
Civil Court, GZB

SITE PLAN OF AGRICULTURAL LAND ...

VILLAGE ...

TEHSIL AND DISTT. GHAZIABAD (U.P)

AREA ...

SELLER'S SIGN

PURCHASER'S SIGN

SINGH ASSOCIATES
Architect Engineer
Ph. No. 9811049613

1695/2010

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.1518 हैक्टेयर, खाता नं0 1441 के खसरा नं0 1822 स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

(15) एक्सेस बैंक लि0 अम्बेडकर रोड नेहरू नगर गाजियाबाद ब्रान्च चैक नम्बर 207058 दिनांकित 06-04-2010 अंकन-16,33,505/-रूपये (सौलह लाख तैंतीस हजार पाँच सौ पाँच रूपये मात्र) फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये है।

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1

गवाह नं0 2

तहरीर दिनांक : 12.04.2010 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट रजिस्ट्रेशन नम्बर यू0 पी0 588/92 चैम्बर नं0 297 सिविल कोर्ट गाजियाबाद ।

Advocate
Civil Court, GZB

आज दिनांक 12/04/2010 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 8260

पृष्ठ सं. 81 से 110 पर कमांक 1695

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0 के0 सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

गाजियाबाद

12/4/2010

उद्धरण खतौनी

ग्राम कुमांक : 16010310111 ग्राम का नाम : शाहपुर बम्हैटा परगना : डासना तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
01441	रमेश	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1789	0.139		आज्ञा [illegible] तह0 महोदय [illegible] 63/26-1-05	
	महेश	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1796	0.266		[illegible] 1441 के खसरा 1789/0.139,1796/0.266,	
	कमल	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1797	0.266		1797/0.266,1821/0.177 कुल 4 किता रकबा 0.848 मा0 41	
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1821	0.177		के [illegible] भाग से [illegible] पुत्र [illegible] नि0ग्राम का	
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम	1360फ	1822	0.759		नाम खारिज करके [illegible] पुत्र [illegible] नि0ग्राम	
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम					[illegible] दर्ज हो ह0आर0के0	
	महेश [illegible]	[illegible]	नि. ग्राम					[illegible] तह.सदर दिनांक [illegible] 23-5-05 ख.नं.	
	[illegible]	[illegible]	नि. ग्राम					1822/0.759 मा. 37.50 के बकदर भाग से [illegible]	
								[illegible] नि.ग्राम का नाम खारिज करके [illegible]	
								[illegible] पुत्र राय सिंह नि.ग्राम का नाम बतौर बैनामा	
								दर्ज हो R.M.के.	

कुल गाटे : 5 कुल क्षे : 1.607 75.05

हस्ताक्षर

लेखपाल / नायब तहसीलदार

लाभार्थी परिवार के

परिवार की

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	लिंग	मुखिया से संबंध	आयु
1.	टीटू जाटव	M	स्वयं	29
2.	शान्ति	F	पत्नी	27
3.	विकास	M	पुत्र	10
4.	आकाश	M	"	08
5.	बादल	M	"	06
6.	दीपावली	F	पुत्री	04
7.	लाली	F	"	02
8.				
9.				
10.				
11.				

उपरोक्त विवरण मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से सत्य सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर/अंगूठा (परिवार के मुखिया)

मुखिया का नाम टीटू जाटव 90[illegible]33

सदस्यों का विवरण

क्रमांक	[illegible]			[illegible]
	तिथि	[illegible]	[illegible]	

प्रत्येक प्रविष्टि पर दिनांक सहित हस्ताक्षर

ह० पदाभिहित अधिकारी
नाम एवं पदनाम मोहर सहित

PRECAUTIONS TO CUSTOMER

1. Keep Pass Book & Cheque Book at safe place.
2. Deposit cash at cash receiving counter only.
3. Get your Pass-Book updated at frequent intervals.
4. In case of any discrepancy, inform immediately.

ग्राहकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

1. पास बुक तथा चेक बुक सुरक्षित स्थान में रखें।
2. नकदी को केवल नकदी प्राप्ति काउंटर पर ही जमा करें।
3. पास बुक नियमित अंतरालों में अद्यतन कराएं।
4. कोई विसंगति होने की स्थिति में, तत्काल सूचित करें।

नामांकन दर्ज
पृष्ठ सं. ....
दिनांक ....

Nomination Regd.
Page No..............
Date : ....

[illegible] शाखा BRANCH

नाम NAME [illegible]

पता Address [illegible]

प्राधिकृत हस्ताक्षर
Authorised Signature

बचत बैंक खाता संख्या
Savings Bank A/c No. [illegible]

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 16010210111 ग्राम का नाम : शाहपुर बमेटा परगना डासना तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा का उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है।								
01441	रमेश	भोला	नि. ग्राम	1360फ	1789	0.1390		आदेशानुसार श्रीमान तह0 मुकदमा नि0ता0 63/26-4-05 अतः सं0 1441 के ख0नं0 1789/0.139, 1796/0.26 1797/0.266, 1821/0.177 कुल 4 किता रकबा 0.845 के बकदर भाग से विक्रेता कयाम पुत्र [illegible] नि0ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता [illegible] पुत्र [illegible] नि0ग्राम नाम बतौर बैनामा दर्ज हो आर0के0 आदेशानुसार श्रीमान तह0 मु0नि0 278/25-5-05 ख0नं0 1822/0.759 मा0 37.50 के बकदर भाग से विक्रेता कयाम पुत्र [illegible] नि0ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता [illegible] पुत्र [illegible] नि0ग्राम का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो आर0के0 25.05	
	महेश	भोला	नि. ग्राम	1360फ	1796	0.2660			
	कामपाल	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1797	0.2660			
	कमल	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1821	0.1770			
	हेतराम	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1822	0.7590			
	टोपू	खजान	नि. ग्राम						
	महेश चन्द	रामबल	नि. ग्राम						
	सत्यपाल	रामबल	नि. ग्राम						
			कुल गाटे		5 कुल क्षे0	1.6070			

हस्ताक्षर

ग्राम राजस्व लेखपाल

लेखपाल

क्षेत्र ....

जिला-गाजियाबाद

क्रमांक सं. 94792

उत्तर प्रदेश शासन

ई-डिस्ट्रिक्ट - जनसुविधा केन्द्र **जनपद : गाज़ियाबाद**

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए ज़ाति प्रमाण पत्र

जिला गाजियाबाद
तहसील सदर
आवेदन क्र० 009/Caste09/CC32488
प्रमाणपत्र क्र० 090209313686

जारी दिनांक: 13/11/2009

प्रमाणित किया जाता है कि	श्री टीपू यादव
पुत्र/पुत्री	श्री खजान
निवासी	शाहपुर बम्हैटा
ग्राम	
तहसील	सदर
जिला	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **श्री टीपू यादव** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नही है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षो की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

जारी कर्ता केन्द्र: सी. एस. सी. केन्द्र
पद: केन्द्र प्रभारी
स्थान : सदर,गाजियाबाद
दिनांक:
हस्ताक्षर एंव मुहर

SATISH CHANDRA SHUKLA
Digitally Signed by SATISH CHANDRA SHUKLA
E-mail [illegible]
Reason: Document Certified
CN=SATISH CHANDRA SHUKLA

सक्षम अधिकारी/[illegible]
डिजिटल हस्ताक्षरित
सदर,गाजियाबाद
दिनांक: 13/11/2009

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है।
सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाण पत्र क्र० अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

अमहेरा

विशय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 1441 खसरा नम्बर 1822 रकबा 0.1578 स्थित ग्राम अमहेरा परगना डासना व तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

टीपू s/o खजान

नि० अमहेरा

श्री टीपू S/o खजान नि० ग्राम [illegible] अमहेरा पर खाता का कोई ऋण नहीं है।

[illegible] शाखा प्रबन्धक

[illegible] सहकारी

शाखा [illegible]

[illegible]

TO WHOM IT MAY CONCERN

LEGAL OPINION CUM SEARCH REPORT

Dear Sir,

I have examined the documents (Khasra, Khatauni and Search Certificate) and old revenue records available regarding the property given below and on basis of documents provided by you, I have prepared a detail report in respect of the property mentioned here in below:-

SI No.	Particulars	Response
1	Name and Address of the owner/s	***Teepu son of Sri Khajan*** resident of Vill- Shahpur Bamheta, Pargana - Dasna, Tehsil & Distt.-Ghaziabad.
2.	Respective shares	***1/5 share in the property.***
3.	Detail of the property to be acquired	**Khata No- 1441** Khasra No. 1822 area 0.759 Hect, situated at Vill - Shahpur Bamheta, Pargana - Dasna, Tehsil & Distt.-Ghaziabad ***Proposed sale deed area – 0.1518 Hect.***
4.	Category of tenure holder	Tenure holder has transferable right
5.	Caste	...Baghwand
6.	(i) Charges or lien over the property by Bank etc.	According to khatauni no charges or lien found over the share of seller.
7.	(ii) Whether NOC/No dues for transfer of land is required (from Mortgaged Bank/ financer/Money Lender, if any)	
8.	Details of Register search in the office of Sub-Registrar.	As per Search Certificate form sub registrar bearing no. .... no encumbrance found on the property.
9.	Revenue records inspected during investigation:	1) Khatauni of fasli year 1362 2) Khatauni of fasli year 1378-1380 3) Khatauni of fasli year 1382-1386 4) Khatauni of fasli year 1387-1392 5) Khatauni of fasli year 1400-1405 6) Khatauni of fasli year 1412-1417

Document	Name endorsed	Khasra No.	Khata No.	Comments/Order
Khatauni fasli year 1362	Bhola, Rudhmal, Kanwal, Khajan and Hetram sons of Uddey	1822	402	Area 3-0-0

Khatauni fasli year 1378-1380	Bhola, Rudhmal. Kanwal Khajan and Hetram sons of Uddey	1822	447	Recorded as sirdar
Khatauni fasli year 1382-1386	Bhola. Rudhmal, Kanwal, Khajan and Hetram sons of Uddey	1822	564	....
Khatauni fasli year 1387-1392	Bhola, Rudhmal, Kanwal, Khajan and Hetram sons of Uddey	1822	367	Vide order dated 8.04.82 passed by RI, after the death of Khajan the name of his legal heir Teepu s/o Khajan is endorsed in the Khatauni in place of Khajan
Khatauni fasli year 1400-1405	Bhola, Rudhmal. Kanwal and Hetram sons of Uddey. Teepu s/o Khajan	1822	513	Vide order dated 9.08.97 after the of Bhola the names of Ramesh. Mahesh, Suresh and Naresh sons of Bhola is endorsed in his place as his legal heirs.
Khatauni fasli year 1406-1411	Ramesh, Mahesh, Suresh and Naresh sons of Bhola Rudhmal, Kanwal and Hetram sons of Uddey. Teepu s/o Khajan	1822	.....	....
Khatauni fasli year ~~1406-1411~~ 1412-1417	Ramesh, Mahesh, sons of Bhola, Rudhmal, Kanwal and Hetram sons of Uddey Teepu s/o Khajan. Maheshchand, Satyapal sons of Rambal	1822	1441	....
10.	Specific comments	***As per records available seller has 1/5 shares in property and he wants to sell his full share of Khasra No. 1822.***		
11.	Remarks:	On the basis of the document and records available. the name of the aforesaid owner/s is endorsed in the revenue records and title chain is complete. Seller/s has/have clear, marketable and transferable rights.		

Date :

For-JURIX-PRO

(Ravendra Pratap Singh)
Advocate

...GENDRA KASANA
ADVOCATE
GHAZIABAD

56
8/1/2010

न्यायालय I A.C.J (J.D.) गा०बाद

वाद सं० 502/09

श्रीमती सरोज बनाम [illegible] आदि

कमीशन रिपोर्ट

तलवाना मंजूरशुदा

टिकट ई०अंकन .... रु० 10

मुख्य प्रतिलिपिक

CANC

पाँच रुपये
FIVE RUPEES

CANC

पाँच रुपये
FIVE RUPEES

देने की तिथि 5/1/10
नोटिस तैयार की तिथि 5/1/10
प्रतिलिपि जारी की तिथि 5/1/10
मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट नं0-1, गाजियाबाद

वाद संख्या- 1?2 सन् 2009

श्रीमती सरोज बनाम श्री रामू त्यागी

कमीशन रिपोर्ट आख्या

श्रीमान जी,

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मैं अमीन सदर गाजियाबाद दिनांक 21-11-09 को वादी की निशानदेही पर ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद पहुंचा। वहाँ वादी की निशानदेही पर वादपत्र के नक्शा नजरी कागजात शामिल मिसिल [illegible] जो रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं वादी की निशानदेही पर विवादित सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद का निरीक्षण किया। नक्शा-नजरी तैयार किया जो बयान व बयान भी लिया संलग्न रिपोर्ट का भाग रहेगा।

विवादित सम्पत्ति के संलग्न नक्शे में शेड्यूल-अ, ब, स, द, य से प्रदर्शित किया गया है। शेड्यूल-अ व अक्षर ABCD से प्रदर्शित सम्पत्ति

न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं०-1, गाजियाबाद।

वाद संख्या - 562 सन 2009

श्रीमती सरोज बनाम श्री टीटू आदि

नक्शा - नजरी विवादित स्थल [illegible] ग्राम आदमपुर [illegible] परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

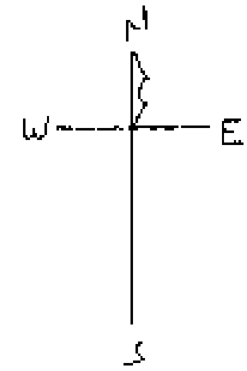

शेड्यूल - क

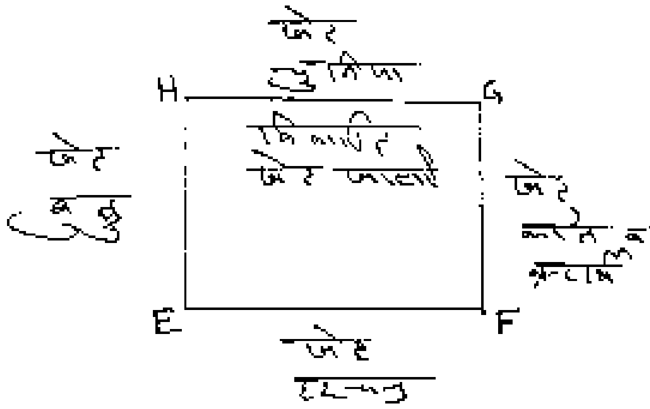

शेड्यूल - ख

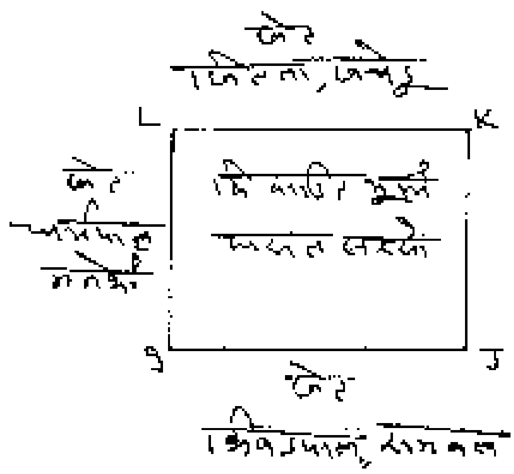

शेड्यूल - ग

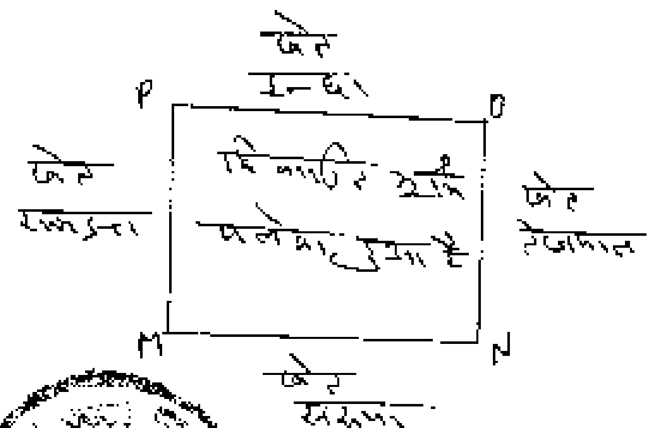

शेड्यूल - घ

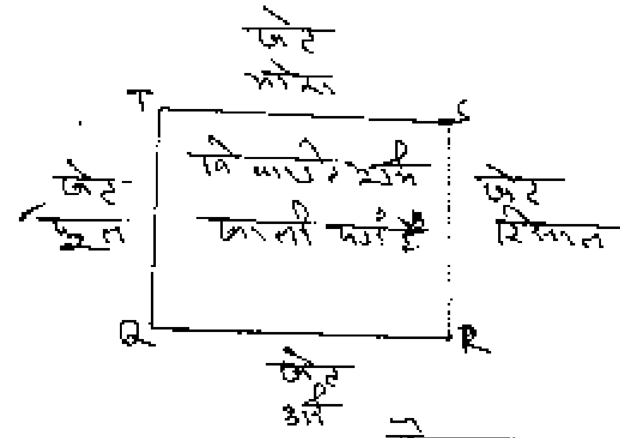

[illegible]

न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं०-1, गाजियाबाद

वाद संख्या - 502 सन् 2009

हरीशंकर बनाम श्री टीटू आदि

नक्शा नजरी ... परगना ... तहसील व जिला गाजियाबाद

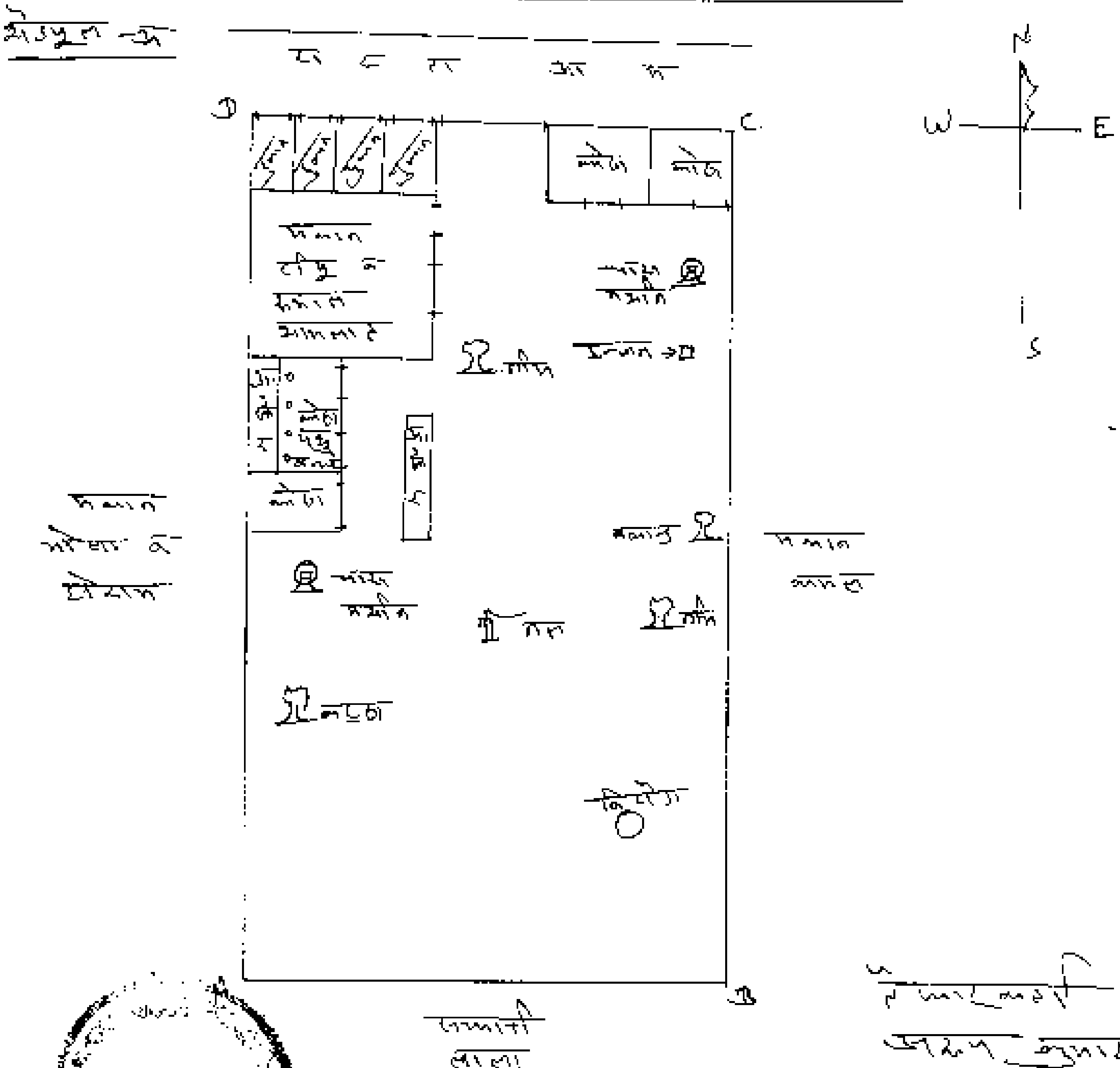

23-11-09

अरुण कुमार

सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

9– [illegible] बताते [illegible] का पुरस्तैनी [illegible] 100·05 पैसे

[illegible] है और [illegible] कुल [illegible] है तीन पुते के 1/3

[illegible] किया जाता है।

10– [illegible] प्रार्थना है:--

(1) [illegible] डिग्री [illegible] [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] भूमि [illegible] विवरण [illegible] में

[illegible] है, [illegible] –[illegible] ।

(2) [illegible] प्रतिवादीगण से [illegible] ।

(3) [illegible] प्रतिवादीगण

[illegible] ।

विवरण :--

भूमि [illegible] ग्राम शाहपुर [illegible]

[illegible] जिला [illegible]

खाता संख्या	खेत संख्या	हेक्टर
1939	1901	0·3290
1941	1911	0·1770
	1789	0·1590
	1796	0·2660
	1797	0·2550
	1821	0·1770
	1822	0·7590

कुल [illegible] – 100·05 पैसे

...GENDRA KASANA
ADVOCATE
GHAZIABAD

56
8/1/2010

न्यायालय I A.C.J (J.D.) गा०बाद

वाद सं० 502/09

श्रीमती स्नेहा बनाम दीपू आदि

समाधान रिपोर्ट
दिनांक [illegible] 8/1/2011

टिक० 2 अंकन............ रु० 10

मुख्य प्रतिलिपिक

प्रतिलिपि विभाग

5 COURT FEE INDIA
भारत
पाँच रुपये
FIVE RUPEES
CANC

5 COURT FEE INDIA
भारत
पाँच रुपये
FIVE RUPEES
CANC

देने की तिथि 5/1/10
नोटिस तैयार की तिथि 5/1/10
प्रतिलिपि जारी की तिथि 5/1/10

मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं० 1, गाजियाबाद।

वाद संख्या- 502 सन् 2009

श्रीमती सरोज बनाम श्री टेंदू प्रजापति

कमीशन रिपोर्ट अमीन

श्रीमान जी,

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मैं अमीन अदालत गाजियाबाद दिनांक 22-11-09 को वादी की निशान देही पर ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद पहुंचा। वहाँ वादी की निशान देही पर आराजियात के मौके अमीन के साथ पेश कागजात खसरा किस्तवार अमीन ने जाँच की जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इसके पश्चात् वादी की निशान देही पर विवादित सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निरीक्षण किये। नक्शा - नजरी तैयार किया नाप व बयान मौके किया। संलग्न रिपोर्ट का भाग होगा।

विवादित सम्पत्ति के संलग्न नक्शे में शेड्यूल - अ, ब, स, द, य में दर्शाया गया है। शेड्यूल - अ व इस प्रकार A B C D में प्रदर्शित सम्पत्ति

न्यायालय अपर [illegible] जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नं-1,
गाजियाबाद।

वाद संख्या - 502 सन 2009

ओमवती [illegible] बनाम श्री [illegible] आदि

नक्शा - नजरी [illegible]
[illegible]
गाजियाबाद

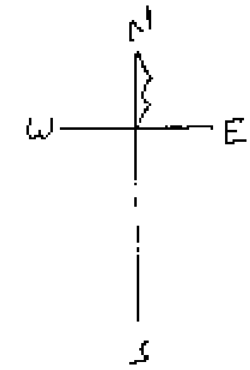

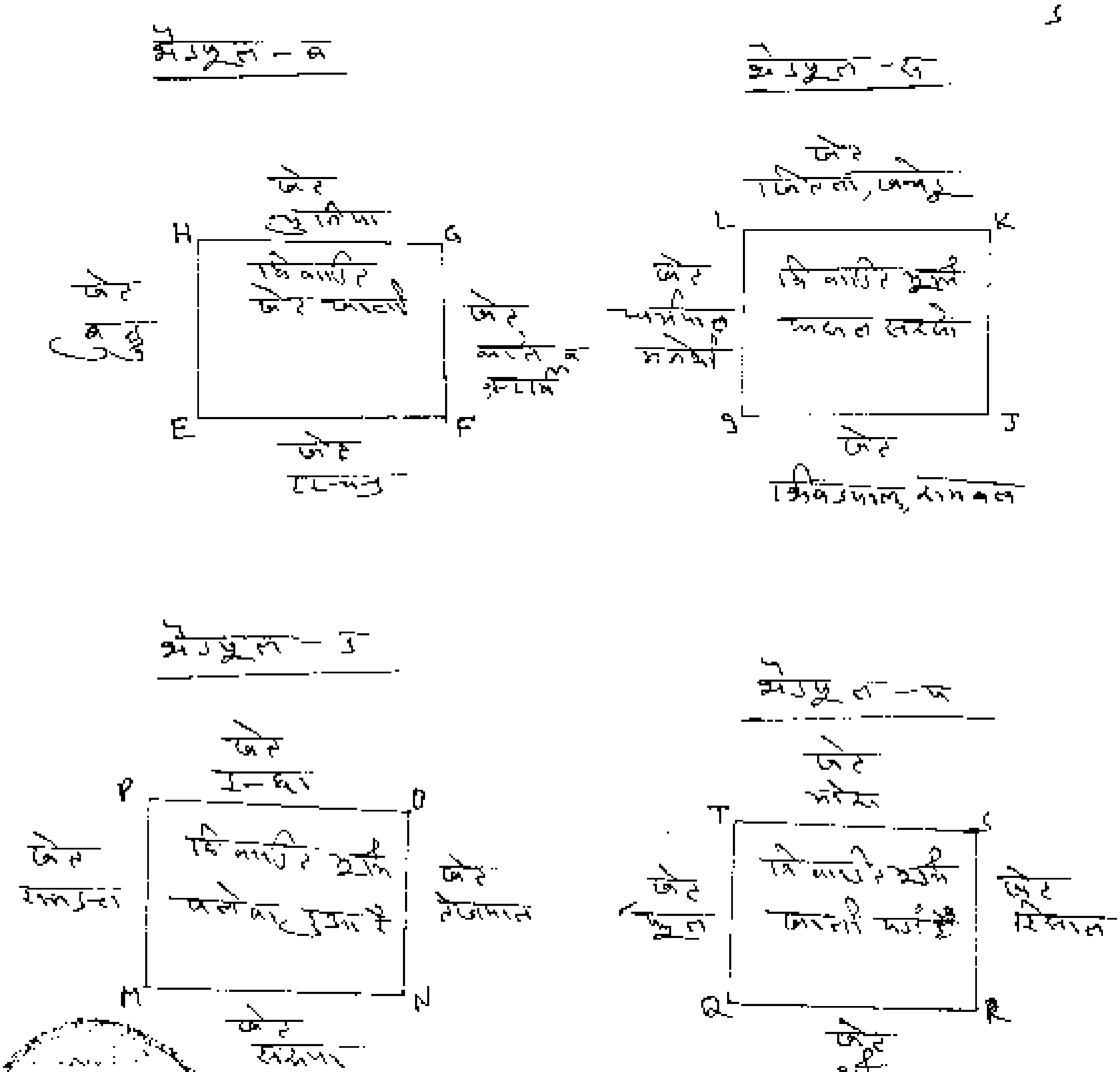

[illegible]
23-1-09

न्यायालय अपर सेशन जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कोर्ट नं-1, गाजियाबाद

वाद संख्या – 502 सन् 2009

स्टेट बनाम श्री टीपू आदि

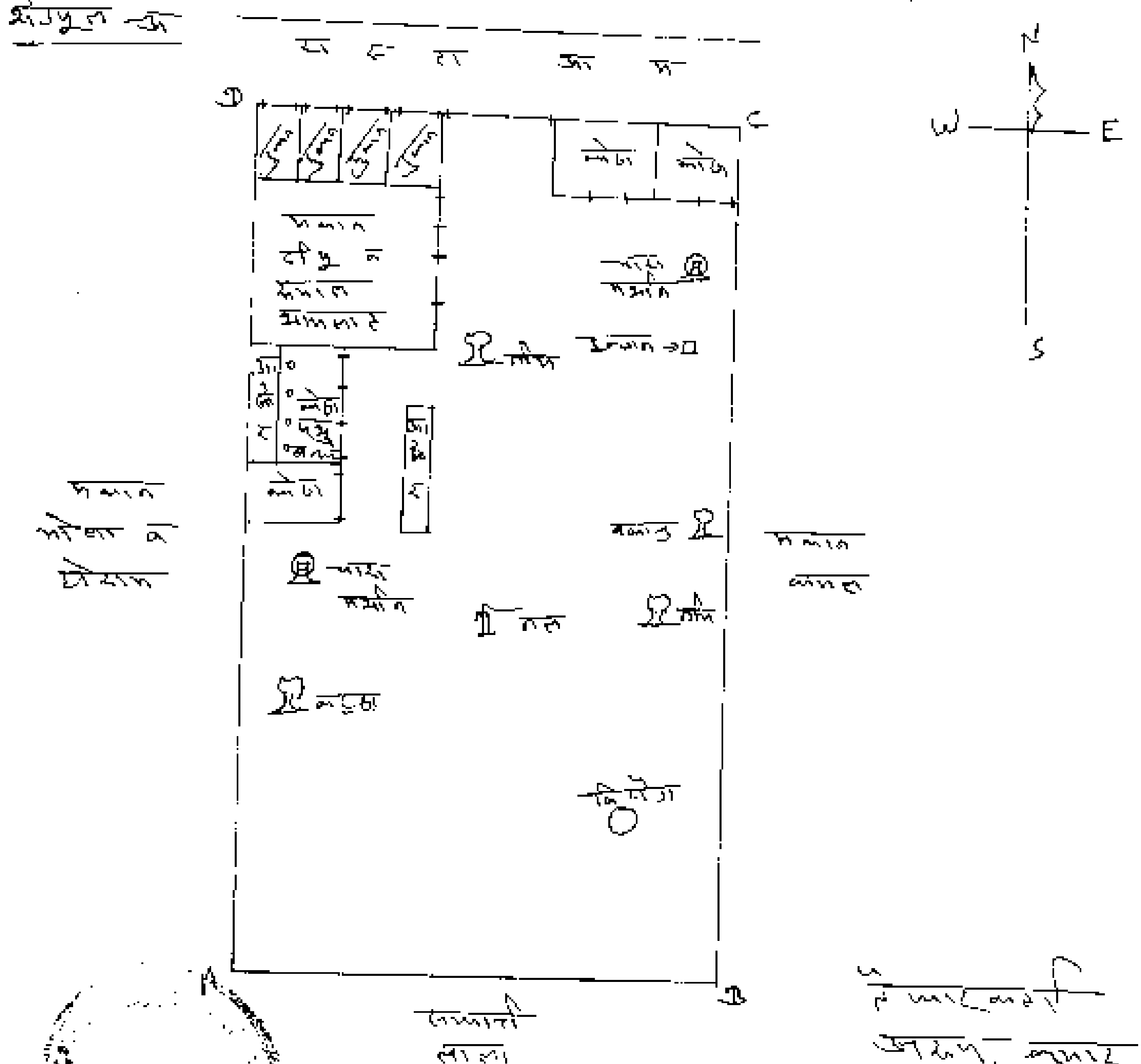

अरुण कुमार
23-11-09

I AC (JD) GZB

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गाजियाबाद

वाद सं0- 502 सन 2009

श्रीमति सरोज पुत्री श्यामाल उर्फ श्याल आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

— वादनी

27/11/08
23/12/2008

बनाम

1. टीपू पुत्र स्व0 श्री अमान सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

2. श्यामाल उर्फ श्याल सिंह आयु   साल निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

— प्रतिवादीगण

श्रीमान जी,

वादनी निम्न निवेदन करती है :—

1- यह कि वादनी का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है:—

उदे

भोला | श्याल सिंह उर्फ श्यामाल | कमल | अमान सिंह | होराम

श्याल सिंह उर्फ श्यामाल:

सरोज (वादनी) | सर्वेश | सुनीता | अनिता

2- यह कि वादनी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 भोला व कमल सिंह पैतृक सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद जिसका विस्तृत विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, स्थित है।

... 2 पर

9- यह कि वास्ते समायत वाद का मूल्यांकन सालाना (लगान) 100·05 पैसे पर किया जाता है तथा न्याय शुल्क लगान सालाना के तीस गुने (3001·50) के 1/8 भाग (600·30 पै.) नियमानुसार अदा किया जाता है।

10- अतएव वादनी प्रार्थनी है:--

(अ) यह कि वादनसूर डिग्री अदालत हुक्म इम्तनाई दवामी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत भूमि विवादित जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, विक्रय कर खुर्द-बुर्द न करें।

(ब) यह कि खर्चा वाद प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(स) यह कि अन्य प्रतिकार न्यायालय जो हक वादनी विरुद्ध प्रतिवादीगण उचित समझे दिलाया जावे।

विवरण :--

भूमि विवादित स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

खाता संख्या	खेत संख्या	क्षेत्रफल
1439	1401	0·3290
1441	1411	0·1770
	1789	0·1390
	1796	0·2560
	1797	0·2560
	1821	0·1770
	1822	0·7590

लगान सालाना - 100·05 पैसे

पर्चा पता

नाम न्यायालय	वाद संख्या	नाम पक्षकार	वादी का नाम पता	तामील किया
सिविल जज [illegible]	[illegible]	श्रीमती [illegible] बनाम [illegible]	श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible]	गाजियाबाद [illegible]

दि० 11/10/09

[illegible]

नं० 3 87
रजि० 1450/76

[illegible]

न्यायालय श्रीमान सिविल जज [illegible] जूनियर डिवीजन [illegible] गाजियाबाद

वाद सं०-   सन् 200[illegible]

श्रीमति सरोज पुत्री [illegible] उर्फ [illegible] आयु 3[illegible] वर्ष निवासी ग्राम [illegible]पुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

-- वादिनी

बनाम

1- दीपू पुत्र स्व० श्री [illegible] सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

2- [illegible] उर्फ [illegible] सिंह आयु [illegible] निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

-- प्रतिवादीगण

श्रीमान जी,

<u>वादिनी निम्न निवेदन करती है :--</u>

1- यह कि वादिनी का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है --

उद्दे

भोला | [illegible] सिंह उर्फ [illegible] | [illegible] | [illegible] सिंह | [illegible]

([illegible] सिंह उर्फ [illegible] की संतान:)

सरोज (वादिनी) | [illegible] | [illegible] | [illegible]

2- यह कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 [illegible] [illegible] स्थित [illegible] ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद जिसका विस्तृत विवरण [illegible] के अन्त में दिया गया है, जिसके

... 2 पर

3- यह कि वादनी के कोई भाई नहीं है तथा उसकी माता अपाहिज है, उसकी देख भाल व सेवा के रख - रखाव के लिए वादनी अपने मायके में ही रहती है तथा अपने पिता के हिस्से में खेती करती है।

4- यह कि वादनी का पिता प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी सं0 2 के बहकावे में आ गया है और प्रतिवादी संख्या नं0 1 बिना कोई कीमत लिये प्रतिवादी सं0 2 को भूमि बैनामा करना और अपने पक्ष में अथवा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में कराने की फिराक में है, जिसका उसे कोई हक हासिल नहीं है।

5- यह कि भूमि विवादित सम्पत्ति पैतृक है और उसके कोई भाई भी नहीं है, अतः इस भूमि विवादित में हित आश्रित है।

6- यह कि विवादित सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 से प्रतिवादी संख्या 2 ने बिना किसी प्रतिफल के अपने हक में या अन्य किसी व्यक्ति के हक में बैनामा करा लिया तो वादनी की अति हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है।

7- यह कि वादनी के प्रतिवादी सं0 1 को अपने हक में बैनामा से बाज रखने हेतु व्यादेश, आदि यह आवश्यक है, अतः वाद की आवश्यकता है।

8- यह कि वाद का कारण दिनांक 9.11.09 को करने बैनामा से इन्कार आदि करने के बाद वादग्रस्त आराजी ग्राम शाहपुर अस्टेट, परगना ... तहसील व जिला ... में स्थित है तथा अदालत हाजा को वाद के सुनने एवं निर्णय का अधिकार प्राप्त है।

... 3 पर

9- यह कि वास्ते समाअत वाद का मूल्यांकन सालाना 100•05 पैसे पर किया जाता है तथा न्याय शुल्क लगान सालाना के तीस गुने के 1/5 भाग नियमानुसार अदा किया जाता है।

10- अतएव वादनी प्रार्थनी है:--

(अ) यह कि बाबस्तूर डिग्री अदालत हुक्म इम्तनाई सदैवी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत भूमि विवादित जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त मे दिया गया है, विक्रय कर खुर्द-बुर्द न करे ।

(ब) यह कि खर्चा वाद प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

(स) यह कि अन्य प्रतिकार न्यायालय जो सहक वादनी विरुद्ध प्रतिवादीगण उचित समझे दिलाया जावे ।

विवरण :--

भूमि विवादित स्थित ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।

खाता संख्या	खेत संख्या	क्षेत्रफल
1439	1401	0•3290
1441	1411	0•1770
	1769	0•1390
	1796	0•2650
	1797	0•2660
	1821	0•1770
	1822	0•7590

कुल लगान सालाना - 100•05 पैसे

[illegible]

मैं अपनी प्रमाणित करती हूं कि आप [illegible] वादिनी

[illegible] [illegible]

15 [illegible] द्वारा

[illegible] है।

[illegible] गाजियाबाद

एडवोकेट

दिनांक –

[illegible]

जिला—

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गाजियाबाद

वाद सं०—   सन 2009

सुनील आदि   बनाम   टीटू आदि

शपथ पत्र श्रीमती सरोज पुत्री स्वo ... उर्फ ... आयु 38 वर्ष

निवासी ग्राम शाहपुर ... परगना ... तहसील व जिला गाजियाबाद

निम्न प्रकार है--

1— यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है तथा वादगण होने वादिनी शपथ पत्र के तथ्यों से परिचित हूं।

2— यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादिनी का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है--

उदय

...	... सिंह उर्फ ...	कमल	... सिंह	हीराम

(... सिंह उर्फ ... की संतान)

सरोज	...	सुनीता	सुनीता

(वादिनी)

3— यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 ... व ... सिंह पैतृक सम्पत्ति स्थित ग्राम शाहपुर ..., परगना ..., तहसील व जिला गाजियाबाद जिसका विस्तृत विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, स्थित है।

4— यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादिनी के कोई भाई नहीं है तथा

सरोज

विनोद कुमार (स्टाम्प विक्रेता)
चौधरी
DISTT. COURT UTTAR PRADESH
2009 AFFIDAVIT
374705

उसकी माता आपाहिज है, उसकी देख भाल व खेती के रख-रखाव के लिए वादनी अपने मायके में ही रहती है तथा अपने पिता के हिस्से में खेती करती है।

5- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादनी का पिता प्रतिवादी सं0 2, प्रतिवादी सं0 1 गुमराह कर रखा है और प्रतिवादी सं0 1 बिना कोई उचित कीमत दिये प्रतिवादी सं0 2 की भूमि बैनामा कराना ही चाहता अपने पक्ष में अथवा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में कराने की फिराक में है, जिसका उसे कोई हक हासिल नहीं है।

6- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि चूंकि विवादित सम्पत्ति दादालाई है और उसके कोई भाई भी नहीं है, उसका इस भूमि विवादित में हित शामिल है।

7- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि विवादित सम्पत्ति प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 के सीधे पन का नाजायज फायदा उठाकर अपने हक में या अन्य किसी व्यक्ति के हक में बैनामा करा लिया तो वादनी की अति हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है।

8- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादनी ने प्रतिवादी सं0 1 से अपने इस ऐसे बेजा से बाज रहने हेतु कहा, मगर वह इन्कारी है, अतः वाद की आवश्यकता है।

9- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि शपथ पत्र का समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान से सत्य है।

शपथकर्ता

स्थान गाजियाबाद
दिनांक - 10-11-09

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर) गाजियाबाद

वाद सं० -   सन 2009

श्रीमति सरोज   बनाम   टीटू आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी पी सी

निम्न है --

श्रीमान जी,

निवेदन है कि वादिनी ने उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय में योजित किया है, जिसमें वादनी को दखल की पुष्टि अंकित है। वादनी के कोई भाई नहीं है तथा उसकी माता अस्वस्थ है, उसकी देखभाल व खेती के रख - रखाव के लिए वादनी अपने मायके में ही रहती है। व प्रतिवादी सं० 2 प्रतिवादी सं० 1 को गुमराह करके उक्त विवादित सम्पत्ति से बेदखल करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। चूंकि विवादित सम्पत्ति वादनाई है, प्रतिवादीगण वादनी के पीछे पड़ [illegible] जबरन कब्जा करना चाहते है या किसी अन्य व्यक्ति को बैनामा न कर दें, यदि वो ऐसा करने में सफल हो गये तो वादनी की अपार क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादीगण वादनी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादनी की सम्पत्ति पर कब्जा ना करें तथा उसे अपने या अन्य किसी के नाम बैनामा ना करें, अन्य वादनी को दखल से बेदखल न करें।

दिनांक - 13-11-09

वादनी सरोज

द्वारा [signature] 11/11/09

जिला-

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) गाजियाबाद

वाद सं०-   सन 2009

श्रीमति सरोज   बनाम   टीपू आदि

शपथपत्र ओर से श्रीमति सरोज पुत्री स्व० ... उर्फ ... आयु 36 वर्ष

निवासी ग्राम बहादुर ... परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद

निम्न है:--

1- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सही है तथा वादपत्र होने वादनी शपथपत्र के तथ्यों से परिचित हूं।

2- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादनी ने उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा ... से योजित किया है, जिसमें वादनी को सफलता की पूर्ण आशा है।

3- यह कि मैं शपथ से कहती हूं कि वादनी के कोई भाई नहीं है तथा उसकी माता अपाहिज है, उसकी देखभाल व खेती के रख - रखाव के लिए वादनी अपने मायके में ही रहती है व प्रतिवादी सं० 2 प्रतिवादी सं० 1 को गुमराह करके उक्त विवादित सम्पत्ति को लेकर हड़पना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है, चूंकि विवादित सम्पत्ति पैतृक ... सम्पत्ति है, इसलिए प्रतिवादीगण वादनी के पीछे ... का नाजायज फायदा उठाकर अपने हक मे या अन्य किसी व्यक्ति को बैनामा ना करा दे, यदि वो ऐसा करने मे सफल हो गये तो वादनी को अपार हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है।

शपथकर्ता सरोज

मैं सत्यापित करती हूं कि शपथ पत्र के ... मेरे निजी ... सत्य है।

... गाजियाबाद

... 11-09 सरोज

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू०डि०) गाजियाबाद

वाद सं0- सन 2009

श्रीमति सरोज बनाम टीपू आदि

प्रार्थना पत्र वास्ते अमीन कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 सी पी सी निम्न है:--

श्रीमान जी,

निवेदन है कि उपरोक्त वाद वादनी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय मे योजित किया है। विवादित सम्पत्ति की वादनी जरिये पंजीकृत बैनामा मालिक, काबिज व दखिल चली आती है, ऐसी स्थिति मे माननीय न्यायालय के समक्ष विवादित सम्पत्ति की सही स्थिति लाने व प्रतिवादीगण पर आदेश नोटिस व सम्मन आदि कराये जाने हेतु अमीन कमीशन नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वाद मे अमीन कमीशन नियुक्त किया जाकर निम्नलिखित रिपोर्ट व नक्शा तलब करायाजावे ।

1. यह कि अमीन कमीशन महोदय प्रतिवादीगण पर नोटिस व सम्मन आदि की तामील करे ।

2. यह कि अमीन कमीशन महोदय विवादित सम्पत्ति का नक्शा बनाये तथा अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे ।

3. यह कि अन्य कोई वाद परवक्त कार्यवाही पैरोकार वादनी वकील वादनी नोटिस कराये उसे अपनी रिपोर्ट मे लिखे ।

दिनांक - 10-11-09

वादनी
सरोज

द्वारा

[illegible]
एडवोकेट

न्यायालय सी०जे०(जू०डि०) [illegible] गाजियाबाद

वाद सं० [illegible] 07

श्रीमती सरोज बनाम वीनू आदि

[illegible] [illegible] ओर से वादिनी द्वारा

योगेन्द्र कौशिक एडवो० गाजियाबाद

निवेदन: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1912 ता 1917 [illegible] गाजियाबाद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गाजियाबाद संलग्न है

दि० 11/11/07

सरोज

प्रार्थिनी/वादिनी

द्वारा

योगेन्द्र कौशिक

एडवो०

[illegible]

गाजियाबाद

उद्धरण खतौनी

0010210111	ग्राम का नाम : शाहपुर बम्हेटा	परगना डासना	तहसील : गाजियाबाद
गाजियाबाद	फसली वर्ष : 1412-1417	भाग : 1	

खातेदार का नाम		पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश तत्सम्बन्धी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1		2		3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है।								
01441	रमेश	भोला	नि. ग्राम	1360फ	1789	0.1390		आदेशानुसार [illegible] तह0 महोदय दि0 63/20-4-05 खाता सं0 1441 के ख0न0 1789/0.139,1796/0.26 1797/0.266,1821/0.177 कुल 4 किता रकबा 0.848 के वकदर भाग से विक्रेता कवल पुत्र उदय नि0ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता ज्ञानचन्द पुत्र लखमी नि0ग्राम नाम बतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 आदेशानुसार श्रीमान तह.महो.दि.नं 278/25-5-05 ख.न. 1822/0.759 म. 37.50 के बकदर भाग से विक्रेता कंवल पुत्र उदय नि.ग्राम का नाम खारिज करके केता श्रीचन्द पुत्र राय सिंह नि.ग्राम का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो ह.आर.के. 75.05	
	महेश	भोला	नि. ग्राम	1360फ	1796	0.2660			
	~~कृपाल~~	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1797	0.2660			
	~~कंवल~~	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1821	0.1770			
	हेतराम	उदय	नि. ग्राम	1360फ	1822	0.7590			
	~~[illegible]~~	खुशाल	नि. ग्राम						
	महेश चन्द	रामफल	नि. ग्राम						
	सत्यपाल	रामफल	नि. ग्राम						
				कुल गाटे :	5	कुल क्षे : 1.6070			

हस्ताक्षर

सिद्धार्थ कौशिक
लेखपाल (कुशलिया)
तह० गाजियाबाद

05/11/2009